

24

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत



आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

सचिव
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोदा

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सूचित पद संख्या के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के गौण-जोन प्रबन्धकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 9 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लम्बे हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निर्म्मानिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [छात्रों और ग्रामांशों], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संग्रहनों और सांस्कृतिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

सचिव
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार
आरा, राजस्थान

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों को पूर्ति करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष/पदाधिकारी के राशन कार्ड को फोटो कापी/स्वाई निवार संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों को और से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र को पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विभागाध्यक्ष अथवा पार्सद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तपनोंको या अन्य कार्य जिसका को प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोपवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेंगे।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. रजिस्ट्रेशन फीस सम्बन्धी अधिनूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

सचिव
शरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोदा

सरदार पटेल शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था-

संघ विधान-पत्र

- 1. संस्था का नाम: इस संस्था का नाम सरदार पटेल शिक्षा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
- 2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय रक्षाटूरगाभाजी रोड वार्ड नं. 12 जिला रीवा है।
इस संस्था का कार्यक्षेत्र जिला रीवा क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 3. संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- 1. कुल्लव शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, कृषि प्रसार, पाठ्यक्रम इत्यादि के प्रसार एवं इन्नोवशन के लिए विद्यालय, महाविद्यालय आदि के प्रशासन संस्थानों को स्थापना करना।
- 2. नागरिकों को कुल्लव शिक्षा के प्रति जागरूक तथा निरीक्षक अधीन क्षेत्रों में।
- 3. कुल्लव शिक्षा का आयुचित प्रचार प्रसार करना।
- 4. कुल्लव शिक्षा प्राप्ति के आसर् कुल्लव तहत बरतना।
- 5. शिक्षा के माध्यम से देश का समाज के प्रति सेवा तथा गतिवृद्धि को आकर्षण प्रदान करना।
- 6. मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करतना।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष सत्यनारायण

समिति
मंत्री

सुभाष
कोषाध्यक्ष

सुभाष
समिति
सरदार पटेल शिक्षा समिति
सोसाइटी

- 7. गांवों में शिक्षा की माहौल को जागरूक बनाना।
- 8. श्रीजागारोन्मुखी शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- 9. शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- 10. कृषि उत्पादन व कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष श्रीगणेश

संयोजक मंत्री

कोषाध्यक्ष

श्रीगणेश
संयोजक
भारदार पटेल विद्यालय संस्थान
आस्तीदा

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री. खानम शाह 1/51 प्रेमसुधा निवास, अमरावती	बुध्दि	Vill - अमरावती Post - अमरावती Dist - अमरावती - 432102	सदस्य
2.	श्री. सोहन लाल कोल्हापूर व. मंगलवाडी	भूत माली	कोल्हा व. लाल अमरावती	उपाध्यक्ष
3.	सुमित्रा देवी कि. 8, बुरगा	कर्मचारी 16-स्त	आन पोस्ट अमरावती	सदस्य
4.	सुरत देवाचि. श. श. श. श. बाजीराम मठ	कृषी	अमरावती	कोषाध्यक्ष
5.	फानाराण कोल्हापूर श्री. जी. वि. दे. राक	अध्यापक	समकलेश्वर रोड अमरावती	सदस्य
6.	प्रभाली लाल श. श. श. श. आशा मठ	अध्यापक	आन. सामेर पोस्ट. अमरावती	सदस्य
7.	दिलिप सुभा. कोल्हापूर 1/51 कोल्हापूर	बुध्दि	अमरावती	सदस्य
8.				
9.				

अध्यक्ष सिता श. श. श. श.

सुकिला
मन्त्री

सु. श. श.
कोषाध्यक्ष

सुमित्रा
सचिव
सरदार मठेल शिक्षण संस्थान
आलोद्या

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पट
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

7

अध्यक्ष *सिद्धलाल*

सुमित्रा
भारती

अनिल
कोषाध्यक्ष

सुमित्रा
कोषाध्यक्ष
संस्थापक अध्यक्ष
संस्थापक अध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	सुजय सिंह/श्री/श्री भाजीराम	कृषि	प. गा. रीठु आलोडा	सुजय
11.	प्रभाषी लाल/श्री/श्री राज शक्ति	श्रमिक	श्री. लाल पट्टे - आलोडा	प्रभाषी
12.	महाराज लाल/श्री/श्री श्री श्री लाल (काठिया)	कृषक	भावापुर रोड आलोडा	महाराज
13.	काम ब्राम/श्री/श्री शोक्ति राज	श्रमिक	लालपुर रोड आलोडा	Kamli
14.	सुमिता सिंह/श्री/श्री नारायण सिंह	कृषक	गा. पट्टे आलोडा	सुमिता
15.	सोहन लाल/श्री/श्री मंगलाम गा. ट	गृह सेवक	कोला की हाजी आलोडा	सोहन
16.	रमि स्वयं प्रकाश/श्री/श्री श्री श्री चोटा (राज)	श्रमिक	कापुर रोड कोला धरा	रमि
17.	देवेन्द्र शंकर/श्री/श्री	श्रमिक	आलोडा	Devedra
18.	श्री श्री/श्री/श्री श्री सुक-का/श्री/श्री	कृषक	आलोडा	श्री

अध्यक्ष सारदाशक्ति

सुमिता
पत्नी

सुजय
कोषाध्यक्ष

सुमिता
समित
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोडा

15

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	जन्मगाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

10

अध्यक्ष सातगाव

सुमित्रा
पत्री

सुभाष
कोपाध्यक्ष

सुमित्रा
सचिव
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोदा

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

11

अध्यक्ष *सिद्धलाल**सुनिता*
मंत्री*सुनिता*
कोषाध्यक्ष*सुनिता*
सचिव
सरदार पटेल विद्यालय संस्थान
आलमोदा

13

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.	संश्लेषण संस्था	SS / प्रम / 2007.05	पु. 1 / 27 क्षेत्र, पु. 1	
39.	संश्लेषण संस्था	1-11/0	को. 5	
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम गंध्या के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)
 1. हस्ताक्षर
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
 सा. नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता
 सा. नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता
 सा. नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता



(साक्षी)
 2. हस्ताक्षर
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
 सा. नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता
 सा. नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता
 सा. नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना होगा।

अध्यक्ष (सा. नाम)

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

NOTARIES
 NOTARY PUBLIC
 INDIA

सचिव
 सरदार पटेल शिवाण संस्था
 आलोदा

सरदार पटेल शिवालय समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

- 1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम सरदार पटेल शिवालय समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
- 2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सोसाइटी रोड, ता. डंडावा तथा कार्यक्षेत्र:- कार्यक्षेत्र तथा इसका कार्यक्षेत्र (डंडावा रीवर) क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- 1. उच्च शिक्षा मन्त्री की शिक्षा में विकल शिक्षार्थी कृषि उत्सार-बाह्यमजदूरी आदि से उत्तम रूप से लाभ के लिए निरालाश व अनाभिव्यक्त आदि से प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न करना।
- 2. महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करना।
- 3. उच्च शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना।
- 4. उच्च शिक्षा से जागरूकता उत्पन्न करना।
- 5. शिक्षा के माध्यम से देश व समाज के प्रति सेवा व अविनाश करने का प्रयत्न करना।
- 6. मन्त्री विज्ञानिक आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करना।

उपरोक्त उद्देश्यों का पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष श्री राजेश कुमार

सचिव श्री मन्वी

कोषाध्यक्ष श्री

समितिको सचिव श्री राजेश कुमार

(11)

7. छात्रों में शिक्षा के माध्यम से जागृति लाना।
8. राजीवगान्धीजी की शिक्षा के प्रति सम्बुद्धि माहोत्सव पैदा करना।
9. शिक्षक, प्रशिक्षक की बुनियादी इलाका स्तर पर करना।
10. कृषि सुधार व कृषि शिक्षा उपलब्ध करवाना।

11.

12.

13.

14.

15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

14

अध्यक्ष श्रीवाराहगुरु

सुनिता
मन्त्री

सुनिता
कीर्ति

सुनिता
सचिव
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोदा

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दौकालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
- 2- विशिष्ट
- 3- सम्माननीय
- 4- साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदान शुल्क व चन्दा :-

सुनियोजित संस्था 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1- संरक्षक राशि..... धार्मिक/आजन्म

अध्यक्ष *राजेश...*

पत्नी

...
कोषाध्यक्ष

सुविधा
समित
मरवदार पटेल शिवालय संस्थान
आलोक

9

उक्त प्रकार के निष्कारण की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:- संस्था के उर्ध्वतम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-
- 1- अध्यक्ष/कारिणी का चुनाव करना।
 - 2- वार्षिक बजट प्रारित करना।
 - 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
 - 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।
10. साधारण सभा की बैठकें :-
- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
 - 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
 - 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
 - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
 - 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष *सुखराम*

मन्त्री *सुमित्रा*

कोषाध्यक्ष *सुधीर*

सचिव
कारदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोदा

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को संचालन रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सप्त तीन

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जायें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो काय रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी व तीन सदस्य कुल सात सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष मनोहर शर्मा

मंत्री कुशिता

कोषाध्यक्ष सुधीर

सचिव
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलमोदा

14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।

2- बैठक का कौरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचासन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कौरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कौरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय बहो होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संबिदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

18

अध्यक्ष

संस्थाकारिणी

मन्त्री

उपाध्यक्ष

सचिव
संस्थाकारिणी
संस्थाकारिणी

पर्यवेक्षण

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5- कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्दा
 - 2- शुल्क
 - 3- अनुदान
 - 4- सहायता
 - 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष *पुनर्विकास*

सुमित्रा
मन्त्री

पुनर्विकास
कोषाध्यक्ष

सुमित्रा
सचिव
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोदा

17. योप सम्बन्धी विशेषाधिकार :-	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक भुगत स्वीकृत कर सकेंगे :- 1- अध्यक्ष 500000/- रु. 2- पत्री 300000/- रु. 3- कोषाध्यक्ष 2500000/- रु. अर्थात् राशि का अनुपातन प्रबंधकारियों से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण के निर्यात प्रबंधकारियों द्वारा को जायेगी।
18. संस्था का अंकेक्षण :-	संस्था के समस्त लेखों जोधों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।
19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-	संस्था के विधान से आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. संस्था का विघटन :-	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था को समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जायेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को भंजोयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. संस्था के लेखे जाखे का निरीक्षण :-	रजिस्ट्रार संस्थाएँ <u>सीकर</u> को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता कि एक विधान (निप्रमापली) शरदार पटेल शिखाण

संस्था/सोसायटी/संस्थान/संभूत की सही व सच्ची प्रति है।
शरदार पटेल शिखाण
 अध्यक्ष पत्री कोषाध्यक्ष
 20

अध्यक्ष सीकर
 रजिस्ट्रार सीकर
 शरदार पटेल शिखाण
 आजीवन

3

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

मैं निम्न इच्छा-संस्था का अधीकृत प्रबंधकारी संस्था

का शपथ ग्रहण करने के लिए कि:

1. हमारी संस्था का पंजीयन संख्या दिनांक है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विभाग के अधीकृत कार्यकारिणी एवं निवर्तमान दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणिकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपरोक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबंधकारिणी विभाग की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक को सूचना का मोटो दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचना जारी कर दिया गया था।
7. अधिकांश में उक्त निम्न संख्या 1 से 8 तक के तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर उपरोक्त प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विभाग में कोई भ्रष्टाचार, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहण सत्यापित करते हैं कि निम्न संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। इसपर माफत है।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नांटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष *सुदीप*

मंत्री *सुदीप*

कोषाध्यक्ष *सुदीप*

सुदीप
सचिव
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
आलोचना

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विपक्ष साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलाई गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की प्रतिलिपि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्मति की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. दुस्तकामक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

शुक्ति जी

- अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह/91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन की सुरक्षा हेतु आदेश को तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गो-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलभाण्ड समितियां, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत चाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारी को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये जाने के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है। भरी हुई राशि को सुविधा केवल उन्हीं नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों।

सचिव
 सचदार पटेल शिक्षण संस्थान
 आल्लोदा